

(क). निविदा के साथ किसी राष्ट्रिय अथवा
 वैदेशी दामिपालक सचिव को डा. ५० वि. सं. के पक्ष में रुपये २०००/-
 (दो हजार) का डिपोजिट के रूप में
 सौंपना होगा। डिपोजिट उचित
 तथा चक-स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
 बिना दस्तावेज एवं पत्र के निविदा
 को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा
 का डिपोजिट के बिना अस्वीकार
 कर दी जायगी। दस्तावेज में किसी
 तरह का सुधार बिना प्रमाणिकरण
 के स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ख). सफाई अधिकारी को यह अधिकार
 होगा कि वह कोई नया सफाई
 निविदा स्वीकार व अस्वीकार कर
 सकता है।

(ग). सामान निविदा दाताओं को डा. ५०
 बिना गैर का डिपोजिट को बस
 दामिपाल में देना होगा तथा